

संख्या- 2080, 15-7-06-16(83)/2006

प्रेषक,

बाबू राम,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

गोदा मे,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

रिक्ता (7) जनुभाग

लघुनामः दिनांक: 10 अगस्त, 2006

विषय :- बासूबरल सरस्वती विहार बीसजपुर मार्ग घरेली वो सी०बी०एस०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु जनजाति प्रगति पत्र दिया जाना।

होइय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश आ रहा है कि उक्त संवर्भुत विद्यालय को सी०बी०एस०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति पत्र एवं दिये जाने भौं इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नंवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शूलक से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मोग नहीं वो जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ट्री एजूकेशन नईदिल्ली/कौसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इंजीनियरेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यांगक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेतार कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य देतनानीं तथा अन्य भूतों से कम वेतनमान सहा अन्य भूतों नहीं दिये जायेंगे।

MANAGEN  
BASUBARAL SARASWATI VIHAR  
Bisalpur Marg, Bareilly

Principal  
Bisalpur Marg, Bareilly

(1)

-2-

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर भाष्याभेद विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निवृति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के दिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं होया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिवेदों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होता और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवेदों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक्क या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वापर्य लिया जायेगा ।

भवदीय,-

(बाबू राम)  
अनु संधिय।

पुस्तक-१८०० / 15-7-2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निजसिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक बार्थवादी हेतु प्रेपित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- पण्डितीय संसुखत शिक्षा निदेशक, बरेली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, बासुबरल सरस्वती विद्यार बीसलपुर मार्ग बरेली ।
- 6- गार्ड छुक ।

प्राप्ति से,  
*Babu*  
(बाबू राम)  
अनु संधिय।

21/7/2006  
MANAHER  
BASUBARAL SARASWATI VIHAR  
Bisalpur Marg, Bareilly

Principal  
Basubaral Saraswati Vihar  
Bisalpur Marg, Bareilly